महत्वपूर्ण

संख्या-7/2021/1003/15-7-2021-1(20)/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल, 2021

विषयः कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत ई-लर्निंग/डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में पठन-पाठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-741/15-7-2020-1(20)/2020, दिनांक 13-04-2020 एवं पत्र संख्या-749/15-7-2020-1(20)/2020, दिनांक 21-04-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य एवं छात्र हित में समस्त विद्यालयों में ई-लर्निंग/डिजिटल /व्हाट्सएप के माध्यम से पठन-पाठन प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड़-19 के पुनः सक्रिय होने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण तथा छात्रहित व सुरक्षा के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र की अवशेष अवधि में व्हाट्सएप के माध्यम से पठन-पाठन किये जाने के संबंध में निम्नलिखित

http://shasanadesh.up.nic.in

व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा निम्नानुसार की जायेगीः-

(1) प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।

(2) प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।

(3) प्रत्येक विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं छात्रों के युक्तियुक्त कक्षावार एवं विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जाए।

(4) उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वयंप्रभा चैनल, ई-ज्ञानगंगा व अन्य माध्यमों से भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए व उसका निरंतर अनुश्रवण कर प्रभावी संचालन किया जाए।

3- व्हाट्सएप के द्वारा वरचुअल क्लास संचालन हेतु दिशा-निर्देश शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0 एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किए जाएगे।

4- आप अवगत हैं कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत गृह गोपन अनुभाग-3 के पत्र संख्या 685 /2021 /सी एक्स 3 दिनांक 11 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा संस्थानों में पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को छोड़ते हुए 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापक छात्र हित, छात्रों के लिए शिक्षण कार्य के यथासंभव सुचारू व्यवस्थापन एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तथा संक्रमण की गति को विराम देने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा शिक्षकों द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' प्रणाली के माध्यम से ही ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य अधिक से अधिक मात्रा में कराया जाए। विद्यालयों द्वारा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन अध्यापकों के द्वारा अपने घर से ही कराया जाए, केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही न्यूनतम संख्या में ही प्रबंधन द्वारा अध्यापकों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। यह निर्देश प्रदेश के समस्त विद्यालयों पर लागू होगा।

5- कोविड के दृष्टिगत छात्रों को पठन-पाठन का कार्य अवरोध न हो इसलिए ई-लर्निंग/ डिजिटल/ व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारम्भ किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों में ई-लर्निंग/व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से पठन-पाठन

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारम्भ किये जाने के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को अवगत कराते रहें।

6- इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(अनिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1003 (1)/15-7-2021-1(20)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/राजकीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in